**GOVERNMENT OF INDIA**
**MINISTRY OF FINANCE**
**(DEPARTMENT OF REVENUE)**
**(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)**

**New Delhi, the 25th July, 2014**

**NOTIFICATION**

**INCOME-TAX**

**S.O. 1902 (E)** In exercise of the powers conferred by section 295 read with section 44AB of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:—

1. (1) These rules may be called the Income-tax ( 7th Amendment) Rules, 2014.
   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Income-tax Rules, 1962, in Appendix-II, for Form No. 3CA, Form No. 3CB and Form No. 3CD, the following forms shall be substituted, namely:-

**FORM NO. 3CA**

**[*See* rule 6G(1)(a)]**

**Audit report under section 44AB of the Income - tax Act, 1961, in a case where the accounts of the business or profession of a person have been audited under any other law**

*I / we report that the statutory audit of M/s. _____ ( Name and address of the asseessee with Permanent Account Number) was conducted by *me / us / M/s. _____in pursuance of the provisions of the_____Act, and*I/we annex hereto a copy of *my / our / their audit report dated _____along with a copy of each of :-

(a) the audited *profit and loss account / income and expenditure account for the period beginning from ----------to ending on ----------.

(b) the audited balance sheet as at, _____; and

(c) documents declared by the said Act to be part of, or annexed to, the *profit and loss account / income and expenditure account and balance sheet.

2. The statement of particulars required to be furnished under section 44AB is annexed herewith in Form No. 3CD.

3. In *my / our opinion and to the best of *my / our information and according to examination of books of account including other relevant documents and explanations given to *me / us, the particulars given in the said Form No.3 CD are true and correct subject to the following observations/qualifications, if any:

a.
b.
c.

…….....
**(Signature and stamp/Seal of the signatory)

Place : _____ Name of the signatory ……

Date : _____ Full address ……

Notes :

1. * Delete whichever is not applicable
2. **This report has to be signed by a person eligible to sign the report as per the provisions of section 44AB of the Income-tax Act, 1961.
3. Where any of the requirements in this Form is answered in the negative or with qualification, give reasons therefor.
4. The person who signs this audit report shall indicate reference of his membership number / certificate of practice / authority under which he is entitled to sign this report.

**FORM NO. 3CB**

**[*See* rule 6G(1)(b)]**

**Audit report under section 44AB of the Income - tax Act 1961,**

**in the case of a person referred to in clause (b) of sub - rule (1) of rule 6G**

1. *I / we have examined the balance sheet as on, ____, and the *profit and loss account / income and expenditure account for the period beginning from ----------to ending on ----------., attached herewith, of _____( Name ), _____(Address), _____(Permanent Account Number).

2. *I / we certify that the balance sheet and the *profit and loss / income and expenditure account are in agreement with the books of account maintained at the head office at _____ and ** _____ branches.

3.(a) *I / we report the following observations / comments / discrepancies / inconsistencies; if any:

(b) Subject to above, -

(A) *I / we have obtained all the information and explanations which, to the best of *my / our knowledge and belief, were necessary for the purpose of the audit.

(B) In *my / our opinion, proper books of account have been kept by the head office and branches of the assessee so far as appears from*my / our examination of the books.

(C) In *my / our opinion and to the best of *my / our information and according to the explanations given to *me / us, the said accounts, read with notes thereon, if any, give a true and fair view :-

(i) in the case of the balance sheet, of the state of the affairs of the assessee as at 31st March, ;and

(ii) in the case of the *profit and loss account / income and expenditure account of the *profit / loss or *surplus / deficit of the assessee for the year ended on that date.

4. The statement of particulars required to be furnished under section 44AB is annexed herewith in Form No.3CD.

5. In *my/our opinion and to the best of *my / our information and according to explanations given to *me / us, the particulars given in the said Form No.3 CD are true and correct subject to following observations/qualifications, if any:

a.
b.
c.

…….....
***(Signature and stamp/seal of the signatory)

Place : _____

Date : _____

Name of the signatory ……

Full address ……

**Notes :**

1. *Delete whichever is not applicable.
2. **Mention the total number of branches.
3. ***This report has to be signed by person eligible to sign the report as per the provisions of section 44AB of the Income-tax Act, 1961.
4. The person, who signs this audit report, shall indicate reference of his membership number / certificate of practice number / authority under which he is entitled to sign this report.

FORM NO. 3CD

[*See* rule 6 G(2)]

**Statement of particulars required to be furnished under section 44AB of the Income-tax Act, 1961**

**PART - A**

1. Name of the assessee

2. Address

3. Permanent Account Number (PAN)

4. Whether the assessee is liable to pay indirect tax like excise duty, service tax, sales tax, customs duty,etc. if yes, please furnish the registration number or any other identification number allotted for the same

5. Status

6. Previous year from……..to ……

7. Assessment year

8. Indicate the relevant clause of section 44AB under which the audit has been conducted

**PART - B**

9. (a) If firm or association of persons, indicate names of partners/members and their profit sharing ratios.

(b) If there is any change in the partners or members or in their profit sharing ratio since the last date of the preceding year, the particulars of such change

10. (a) Nature of business or profession (if more than one business or profession is carried on during the previous year, nature of every business or profession)

(b) If there is any change in the nature of business or profession, the particulars of such change.

11. (a) Whether books of account are prescribed under section 44AA, if yes, list of books so prescribed.

(b) List of books of account maintained and the address at which the books of accounts are kept.

(In case books of account are maintained in a computer system, mention the books of account generated by such computer system. If the books of accounts are not kept at one location, please furnish the addresses of locations along with the details of books of accounts maintained at each location. )

(c) List of books of account and nature of relevant documents examined.

12. Whether the profit and loss account includes any profits and gains assessable on presumptive basis, if yes, indicate the amount and the relevant section (44AD, 44AE, 44AF, 44B, 44BB, 44BBA, 44BBB, Chapter XII-G, First Schedule or any other relevant section.)

13.(a) Method of accounting employed in the previous year

(b) Whether there had been any change in the method of accounting employed vis-a-vis the method employed in the immediately preceding previous year.

(c) If answer to (b) above is in the affirmative, give details of such change,

and the effect thereof on the profit or loss.

| Serial number | Particulars | Increase in profit (Rs.) | Decrease in profit (Rs.) |
|---|---|---|---|
| | | | |

(d) Details of deviation, if any, in the method of accounting employed in the previous year from accounting standards prescribed under section 145 and the effect thereof on the profit or loss.

14. (a) Method of valuation of closing stock employed in the previous year.

(b) In case of deviation from the method of valuation prescribed under section 145A, and the effect thereof on the profit or loss, please furnish:

| Serial number | Particulars | Increase in profit (Rs.) | Decrease in profit (Rs.) |
|---|---|---|---|
| | | | |

15. Give the following particulars of the capital asset converted into stock-in-trade: -

(a) Description of capital asset;

(b) Date of acquisition;

(c) Cost of acquisition;

(d) Amount at which the asset is converted into stock-in-trade.

16. Amounts not credited to the profit and loss account, being, -

(a) the items falling within the scope of section 28;

(b) the proforma credits, drawbacks, refund of duty of customs or excise or service tax, or refund of sales tax or value added tax where such credits, drawbacks or refunds are admitted as due by the authorities concerned;

(c) escalation claims accepted during the previous year;

(d) any other item of income;

(e) capital receipt, if any.

17. Where any land or building or both is transferred during the previous year for a consideration less than value adopted or assessed or assessable by any authority of a State Government referred to in section 43CA or 50C, please furnish:

| Details of property | Consideration received or accrued | Value adopted or assessed or assessable |
|---|---|---|
| | | |

18.Particulars of depreciation allowable as per the Income-tax Act, 1961 in respect of each asset or block of assets, as the case may be, in the following form :-

(a) Description of asset/block of assets.

(b) Rate of depreciation.

(c) Actual cost of written down value, as the case may be.

(d) Additions/deductions during the year with dates; in the case of any addition of an asset, date put to use; including adjustments on account of –

i) Central Value Added Tax credits claimed and allowed under the Central Excise Rules, 1944, in respect of assets acquired on or after 1st March, 1994,

ii) change in rate of exchange of currency, and

iii) subsidy or grant or reimbursement, by whatever name called.

(e) Depreciation allowable.

(f) Written down value at the end of the year

19. Amounts admissible under sections:

| Section | Amount debited to profit and loss account | Amounts admissible as per the provisions of the Income-tax Act, 1961 and also fulfils the conditions, if any specified under the |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| | account | the conditions, if any specified under the relevant 14provisions of Income-tax Act, 1961 or Income-tax Rules,1962 or any other guidelines, circular, etc., issued in this behalf. |
| 32AC | | |
| 33AB | | |
| 33ABA | | |
| 35(1)(i) | | |
| 35(1)(ii) | | |
| 35(1)(iia) | | |
| 35(1)(iii) | | |

| | | |
|---|---|---|
| 35(1)(iv) | | |
| 35(2AA) | | |
| 35(2AB) | | |
| 35ABB | | |
| 35AC | | |
| 35AD | | |
| 35CCA | | |
| 35CCB | | |

| | | |
|---|---|---|
| 35CCC | | |
| 35CCD | | |
| 35D | | |
| 35DD | | |
| 35DDA | | |
| 35E | | |

20. (a) Any sum paid to an employee as bonus or commission for services rendered, where such sum was otherwise payable to him as profits or dividend. [Section 36(1)(ii)]

(b) Details of contributions received from employees for various funds as referred to in section 36(1)(va):

| Serial number | Nature of fund | Sum received from employees | Due date for payment | The actual amount paid | The actual date of payment to the concerned authorities |
|---|---|---|---|---|---|

21. (a) Please furnish the details of amounts debited to the profit and loss account, being in the nature of capital, personal, advertisement expenditure etc

| Nature | Serial number | Particulars | Amount in Rs. |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Expenditure incurred at clubs being cost for club services and facilities used. | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Expenditure by way of penalty or fine for violation of any law for the time being force | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Expenditure by way of any other penalty or fine not covered above | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Expenditure incurred for any purpose which is an offence or which is prohibited by law | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

(b) Amounts inadmissible under section 40(a):-

(i) as payment to non-resident referred to in sub-clause (i)

(A) Details of payment on which tax is not deducted:

(I) date of payment

(II) amount of payment

(III) nature of payment

(IV) name and address of the payee

(B) Details of payment on which tax has been deducted but has not been paid during the previous year or in the subsequent year before the expiry of time prescribed under section 200(1)

(I) date of payment

(II) amount of payment

(III) nature of payment

(IV) name and address of the payee

(V) amount of tax deducted

(ii) as payment referred to in sub-clause (ia)

(A) Details of payment on which tax is not deducted:

(I) date of payment

(II) amount of payment

(III) nature of payment

(IV) name and address of the payee

(B) Details of payment on which tax has been deducted but has not been paid on or before the due date specified in sub- section (1) of section 139.

(I) date of payment

(II) amount of payment

(III) nature of payment

(IV) name and address of the payer

(V) amount of tax deducted

(VI) amount out of (V) deposited, if any

(iii) under sub-clause (ic) [Wherever applicable]

(iv) under sub-clause (iia)

(v) under sub-clause (iib)

(vi) under sub-clause (iii)

(A) date of payment

(B) amount of payment

(C) name and address of the payee

(vii) under sub-clause (iv)

(viiii) under sub-clause (v)

(c) Amounts debited to profit and loss account being, interest, salary, bonus, commission or remuneration inadmissible under section 40(b)/40(ba) and computation thereof;

(d) Disallowance/deemed income under section 40A(3):

(A) On the basis of the examination of books of account and other relevant documents/evidence, whether the expenditure covered under section 40A(3) read with rule 6DD were made by account payee cheque drawn on a bank or account payee bank draft. If not, please furnish the details:

| Serial number | Date of payment | Nature of payment | Amount | Name and Permanent Account Number of the payee, if available |
|---|---|---|---|---|

(B) On the basis of the examination of books of account and other relevant documents/evidence, whether the payment referred to in section 40A(3A) read with rule 6DD were made by account payee cheque drawn on a bank or account payee bank draft If not, please furnish the details of amount deemed to be the profits and gains of business or profession under section 40A(3A);

| Serial number | Date of payment | Nature of payment | Amount | Name and Permanent Account Number of the payee, if available |
|---|---|---|---|---|

(e) provision for payment of gratuity not allowable under section 40A(7);

(f) any sum paid by the assessee as an employer not allowable under section 40A(9);

(g) particulars of any liability of a contingent nature;

(h) amount of deduction inadmissible in terms of section 14A in respect of the expenditure incurred in relation to income which does not form part of the total income;

(i) amount inadmissible under the proviso to section 36(1)(iii).

22. Amount of interest inadmissible under section 23 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006.

23. Particulars of payments made to persons specified under section 40A(2)(b).

24. Amounts deemed to be profits and gains under section 32AC or 33AB or 33ABA or 33AC.

25. Any amount of profit chargeable to tax under section 41 and computation thereof.

26. In respect of any sum referred to in clause (a),*(b),* (c), (d), (e) or *(f)* of section 43B, the liability for which**:-**

(A) pre-existed on the first day of the previous year but was not allowed in the assessment of any preceding previous year and was

(a) paid during the previous year;

(b) not paid during the previous year;

(B) was incurred in the previous year and was

(a) paid on or before the due date for furnishing the return of income of

the previous year under section 139(1);

(b) not paid on or before the aforesaid date.

(State whether sales tax, customs duty, excise duty or any other indirect tax, levy, cess, impost, etc., is passed through the profit and loss account.)

27. (a) Amount of Central Value Added Tax credits availed of or utilised during the previous year and its treatment in the profit and loss account and treatment of outstanding Central Value Added Tax credits in the accounts.

(b) Particulars of income or expenditure of prior period credited or debited to the profit and loss account.

28. Whether during the previous year the assessee has received any property, being share of a company not being a company in which the public are substantially interested, without consideration or for inadequate consideration as referred to in section 56(2)(viia), if yes, please furnish the details of the same.

29. Whether during the previous year the assessee received any consideration for issue of shares which exceeds the fair market value of the shares as referred to in section 56(2)(viib), if yes, please furnish the details

of the same.

30. Details of any amount borrowed on hundi or any amount due thereon (including interest on the amount borrowed) repaid, otherwise than through an account payee cheque. [Section 69D]

31. *(a) Particulars of each loan or deposit in an amount exceeding the limit specified in section 269SS taken or accepted during the previous year :-

(i) name, address and Permanent Account Number (if available with the assessee) of the lender or depositor;

(ii) amount of loan or deposit taken or accepted;

(iii) whether the loan or deposit was squared up during the previous year;

(iv) maximum amount outstanding in the account at any time during the previous year;

(v) whether the loan or deposit was taken or accepted otherwise than by an account payee cheque or an account payee bank draft.

*(These particulars needs not be given in the case of a Government company, a banking company or a corporation established by a Central, State or Provincial Act.)

(b) Particulars of each repayment of loan or deposit in an amount exceeding the limit specified in section 269T made during the previous year :-

(i) name, address and Permanent Account Number (if available with the assessee) of the payee;

(ii) amount of the repayment;

(iii) maximum amount outstanding in the account at any time during the previous year;

(iv) whether the repayment was made otherwise than by account payee cheque or account payee bank draft.

(c) Whether the taking or accepting loan or deposit, or repayment of the same were made by account payee cheque drawn on a bank or account payee bank draft based on the examination of books of account and other relevant documents

(The particulars (i) to (iv) at (b) and comment at (c) above need not be given in the case of a repayment of any loan or deposit taken or accepted from Government, Government company, banking company or a corporation established by a Central, State or Provincial Act)

32.(a) Details of brought forward loss or depreciation allowance, in the following manner, to the extent available :

| Serial Number | Assessment Year | Nature of loss / allowance (jn rupees) | Amount as returned (in rupees) | Amounts as assessed (give reference to relevant order) | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

(b) Whether a change in shareholding of the company has taken place in the previous year due to which the losses incurred prior to the previous year cannot be allowed to be carried forward in terms of section 79.

(c) Whether the assessee has incurred any speculation loss referred to in section 73 during the previous year, If yes, please furnish the details of the same.

(d) whether the assessee has incurred any loss referred to in section 73A in respect of any specified business during the previous year, if yes, please furnish details of the same.

(e) In case of a company, please state that whether the company is deemed to be carrying on a speculation business as referred in explanation to section 73, if yes, please furnish the details of speculation loss if any incurred during the previous year.

33. Section-wise details of deductions, if any, admissible under Chapter VIA or Chapter III (Section 10A, Section 10AA).

| Section under which deduction is claimed | Amounts admissible as per the provision of the Income-tax Act, 1961 and fulfils the conditions, if any, specified under the relevant provisions of Income-tax Act, 1961 or Income-tax Rules,1962 or any other guidelines, circular, etc, issued in this behalf. |
|---|---|
| | |

34. (a) Whether the assessee is required to deduct or collect tax as per the provisions of Chapter XVII-B or Chapter XVII-BB, if yes please furnish:

| Tax deduction and | Section | Nature of payme | Total amount of payment | Total amount on which tax | Total amount | Amount of tax deducted | Total amount on which tax was | Amount of | Amount of tax deducted or |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| collection Account Number (TAN) | | nt | or receipt of the nature specified in column (3) | was required to be deducted or collected out of (4) | on which tax was deducted or collected at specified rate out of (5) | or collected out of (6) | deducted or collected at less than specified rate out of (7) | tax deducted or collected on (8) | collected not deposited to the credit of the Central Government out of (6) and (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |

(b) whether the assessee has furnished the statement of tax deducted or tax collected within the prescribed time. If not, please furnish the details:

| Tax deduction and collection Account Number (TAN) | Type of Form | Due date for furnishing | Date of furnishing, if furnished | Whether the statement of tax deducted or collected contains information about all transactions which are required to be reported |
|---|---|---|---|---|

(c) whether the assessee is liable to pay interest under section 201(1A) or section 206C(7). If yes, please furnish:

| Tax deduction and collection Account Number (TAN) | Amount of interest under section 201(1A)/206C(7) is payable | Amount paid out of column (2) along with date of payment. |
|---|---|---|

35. (a) In the case of a trading concern, give quantitative details of principal items of goods traded :

(i) Opening Stock;

(ii) purchases during the previous year;

(iii) sales during the previous year;

(iv) closing stock;

(v) shortage/excess, if any

(b) In the case of a manufacturing concern, give quantitative details of the principal items of raw materials, finished products and by-products :

A. Raw Materials :

(i) opening stock;

(ii) purchases during the previous year;

(iii) consumption during the previous year;

(iv) sales during the previous year;

(v) closing stock;

(vi) yield of finished products;

(vii) percentage of yield;

(viii) shortage/excess, if any.

B. Finished products/by- products :

(i) opening stock;

(ii) purchases during the previous year;

(iii) quantity manufactured during the previous year;

(iv) sales during the previous year;

(v) closing stock;

(vi) shortage/excess, if any.

36. In the case of a domestic company, details of tax on distributed profits under section 115-O in the following form :-

(a) total amount of distributed profits;

(b) amount of reduction as referred to in section 115-O(1A)(i);

(c amount of reduction as referred to in section 115-O(1A)(ii);

(d) total tax paid thereon;

(e) dates of payment with amounts.

37. Whether any cost audit was carried out, if yes, give the details, if any, of disqualification or disagreement on any matter/item/value/quantity as may be reported/identified by the cost auditor.

38. Whether any audit was conducted under the Central Excise Act, 1944, if yes, give the details, if any, of disqualification or disagreement on any matter/item/value/quantity as may be reported/identified by the auditor.

39. Whether any audit was conducted under section 72A of the Finance Act.1994 in relation to valuation of taxable services.

Finance Act,1994 in relation to valuation of taxable services, if yes, give the details, if any, of disqualification or disagreement on any matter/item/value/quantity as may be reported/identified by the auditor.

40. Details regarding turnover, gross profit, etc., for the previous year and preceding previous year:

| Serial number | Particulars | Previous year | Preceding previous year |
|---|---|---|---|
| 1. | Total turnover of the assessee | | |
| 2. | Gross profit/turnover | | |
| 3. | Net profit/turnover | | |
| 4. | Stock-in-trade/turnover | | |
| 5. | Material consumed/finished goods produced | | |

(The details required to be furnished for principal items of goods traded or manufactured or services rendered)

41. Please furnish the details of demand raised or refund issued during the previous year under any tax laws other than Income-tax Act, 1961 and Wealth tax Act, 1957 alongwith details of relevant proceedings.

…….....

*(Signature and stamp/Seal of the signatory)

Place : _____ …….

Name of the signatory

Date : _____ …….

Full address

Notes :

1. *This Form has to be signed by the person competent to sign Form No. 3CA or Form No. 3CB, as the case may be.

[Notification No. 33/2014, F.No.133/1/2014-TPL]

(J. Saravanan)

Under Secretary (TPL)

Note: The principal rules were published in the Gazette of India vide number S.O. 969(E), dated the 26th March, 1962 and last amended by number S.O. 1418, dated the 30/05/2014.

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

नई दिल्ली, तारीख 25 जुलाई, 2014

**अधिसूचना**

**आय-कर**

का.आ. 1902(अ) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 44कख के साथ पठित धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (सातवाँसंशोधन) नियम, 2014 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. आय-कर नियम, 1962 में, उपाबंध 2 के प्ररुप सं. 3गक, प्ररुप सं. 3गख और प्ररुप सं. 3गघ के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररुप रखे जाएंगे, अर्थात् :-

**प्ररुप सं. 3गक**

**[नियम 6छ(1)(क) देखिए]**

**आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 44कख के अधीन संपरीक्षा रिपोर्ट उस दशा में, जहां किसी व्यक्ति के कारबार या वृत्ति के लेखाओं की किसी अन्य विधि के अधीन संपरीक्षा की गई है**

*मैं/हम यह रिपोर्ट करता हूँ/करते हैं कि *मैंने/हमने/मैसर्स ..... (निर्धारिती का नाम और पता, स्थायी खाता संख्यांक सहित उल्लिखित करें) ने ..... अधिनियम के उपबंधों के अधीन ..... की कानूनी संपरीक्षा की है और *मैं/हम अपनी/उनकी तारीख ..... की संपरीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति निम्नलिखित प्रत्येक की एक प्रति सहित इसके साथ संलग्न करता हूं/करते हैं–

(क)..... से प्रारंभ ..... को समाप्त हुई अवधि के लिए संपरीक्षित *लाभ और हानि लेखा/आय और व्यय की विवरणी ;

(ख) ..... को यथा विद्यमान संपरीक्षित तुलन-पत्र, और

(ग) ऐसे दस्तावेज, जिन्हें उक्त अधिनियम द्वारा *लाभ और हानि लेखा/आय और व्यय की विवरणी तथा तुलन-पत्र के भाग के रूप में या उसके संलग्नक के रूप में घोषित किया गया है ।

2. धारा 44कख के अधीन प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित विशिष्टियों का विवरणी प्ररुप सं. 3गघ में इसके साथ संलग्न है ।

3. *मेरी/हमारी राय में और *मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा लेखा बहियों की परीक्षा, जिसके अंतर्गत अन्य सुसंगत दस्तावेजों के अनुसार और *मुझे/हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उक्त प्ररुप 3गघ में दी गई विशिष्टियां निम्नलिखित संप्रेक्षण/विशेषक के अधीन रहते हुए सत्य और सही हैं, यदि कोई हों :

क.

ख.

ग.

.....

**(हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर और स्टॉप/मोहर)

स्थान :..... हस्ताक्षकर्ता का नाम .....

तारीख : ..... पूरा पता .....

टिप्पण :

1. *जो लागू न हो उसे काट दें ।
2. **यह रिपोर्ट आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 44कख के उपबंधों के अनुसार रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने के लिए पात्र व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होगी ।
3. जहां इस प्ररुप में की किसी अपेक्षा का उत्तर नहीं में अथवा विशेषक के साथ दिया गया है, वहां उसके कारण बताएं ।
4. वह व्यक्ति, जो इस संपरीक्षा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करता है, अपनी ऐसी सदस्यता संख्या/व्यवसाय प्रमाणपत्र संख्या/ऐसे प्राधिकार के प्रति निर्देश उपदर्शित करेगा, जिसके अधीन वह इस रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने का हकदार है ।

**प्ररुप सं. 3गख**

**[नियम 6छ(1)(ख) देखिए]**

**आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 44कख के अधीन संपरीक्षा रिपोर्ट**

**नियम 6छ के उपनियम (1) के खंड (ख) में निर्दि-ट व्यक्ति की दशा में**

*मैं/हमने ..... (नाम) ..... (पता) इससे संलग्न 31 मार्च, ..... से प्रारंभ होने वाली ..... को समाप्त होने वाली अवधि के के लाभ और हानि लेखा/आय और व्यय लेखा की जांच की है ।

2. *मैं/हम यह प्रमाणित करता हूं/करते हैं कि तुलन-पत्र और *लाभ और हानि लेखा/आय और व्यय लेखा ..... स्थित मुख्यालय और** ..... स्थित शाखाओं में रखी गई लेखा बहियों के अनुरूप हैं ।

3.(क) *मैं/हम निम्नलिखित संप्रेक्षण/टिप्पणियां/विसंगतियां/असंगतियां, यदि कोई हों, रिपोर्ट* करता हूं/करते हैं :

(ख) उपर्युक्त के अधीन रहते हुए,--

(अ) *मैं/हमने ऐसी सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो *मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार संपरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे ।

(आ) *मेरी/हमारी राय में, जहां तक बहियों की *मेरे/हमारे द्वारा की गई जांच से प्रतीत होता है, निर्धारिती के मुख्यालय और शाखाओं द्वारा उचित बहियां रखी गई हैं ।

(इ) *मेरी/हमारी राय में,*मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा *मुझे/हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, लेखाओं पर लिखे गए टिप्पणों के, यदि कोई हों, साथ पठित उक्त लेखाओं में निम्नलिखित को सत्य और सही रूप में प्रदर्शित किया गया है :-

(i) तुलन-पत्र की दशा में, 31 मार्च, ..... को यथा विद्यमान निर्धारिती के कार्यकलापों की स्थिति को ; और

(ii) *लाभ और हानि लेखा/आय और व्यय लेखा की दशा में, उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए निर्धारिती का *लाभ/हानि या *अधिशेष/कमी को ।

4. धारा 44कख के अधीन प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित विशिष्टियों का विवरण प्ररुप 3गघ में संलग्न है ।

5. *मेरी/हमारी राय में और *मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा *मुझे/हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उक्त प्ररुप सं. 4गघ में दी गई विशिष्टियां सत्य और सही हैं, यदि कोई हों :

क.

ख.

ग.

.....

**(हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर और स्टॉप/मोहर)

स्थान :..... हस्ताक्षकर्ता का नाम .....

तारीख : ..... पूरा पता .....

टिप्पण :

1. *जो लागू ना हो उसे काट दें ।

2. **शाखाओं की कुल संख्या बताएं ।

3. ***यह रिपोर्ट आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 44कख के उपबंधों के अनुसार रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने के लिए पात्र व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होगी ।

4. वह व्यक्ति, जो इस संपरीक्षा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करता है, अपनी ऐसी सदस्यता संख्या/व्यवसाय प्रमाणपत्र संख्या/ऐसे प्राधिकार के प्रति निर्देश उपदर्शित करेगा, जिसके अधीन वह इस रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने का हकदार है ।

**प्ररुप 3गघ**

[नियम 6छ(2) देखिए]

**आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 44कख के अधीन विशिष्टियां, जो अपेक्षित हैं, का विवरण**

**भाग - क**

1. निर्धारिती का नाम

2. पता

3. स्थायी लेखा संख्या (स्था.ले.सं.)

4. क्या निर्धारिती अप्रत्यक्ष कर जैसे उत्पाद-शुल्क, सेवा कर, विक्रय कर, सीमाशुल्क आदि के संदाय का दायी है, यदि हां तो उसके लिए आबंटित रजिस्ट्रीकरण संख्यांक या अन्य पहचान संख्या दें ।

5. प्रास्थिति

6. पूर्ववर्ष से..... को .....

7. निर्धारण वर्ष

8. धारा 44कख के सुसंगत खंड, जिसके अधीन लेखा संपरीक्षा किया गया है, उपदर्शित करें ।

9.(क) यदि कोई फर्म अथवा व्यक्तियों का संगम है तो भागीदारों/सदस्यों के नाम और लाभ में उनके अंश का अनुपात उपदर्शित करें ।

(ख) यदि पिछले वर्ष की अंतिम तारीख से भागीदारों में या सदस्यों में या लाभ में उनके अंश के अनुपात में कोई परिवर्तन हुआ है तो ऐसे परिवर्तन की विशिष्टियां दें ।

10.(क) कारबार या वृत्ति की प्रकृति (यदि पूर्ववर्ष के दौरान एक से अधिक कारबार या वृत्ति चलाई गई हैं तो प्रत्येक कारबार या वृत्ति की प्रकृति) ।

(ख) यदि कारबार या वृत्ति की प्रकृति में कोई परिवर्तन हुआ है तो ऐसे परिवर्तन की विशिष्टियां दें ।

11.(क) क्या लेखा-बहियों की धारा 44कक के अधीन विहित किया गया है, यदि हां तो इस प्रकार विहित की गई बहियों की सूची दें ।

(ख) रखी गई लेखा बहियों की सूची और पता, जिस पर लेखा बहियों को रखा जाना है ।

(लेखा-बहियां कंप्यूटर प्रणाली में रखे जाने की दशा में, ऐसी कंप्यूटर प्रणाली द्वारा सूचित लेखा-बहियों का उल्लेख करें यदि लेखा बहियां को एक स्थान पर नहीं रखा गया है तो कृपया प्रत्येक अवस्थान पर रखी गई लेखा बहियों के ब्यौरों के साथ प्रत्येक अवस्थान के पते दें)

(ग) परीक्षा किए गए लेखा-बहियों की सूची और सुसंगत दस्तावेजों की प्रकृति ।

12. क्या लाभ और हानि लेखा में अनुमान के आधार पर निर्धार्य किन्हीं लाभों और अभिलाभों को सम्मिलित किया गया है, यदि हां तो उनकी राशि और सुसंगत धारा (44कघ, 44कङ; 44कच, 44ख 44खख, 44खखक, 44खखख, अध्याय 12-छ की पहली अनुसूची या कोई अन्य सुसंगत धारा) उपदर्शित करें ।

13.(क) पूर्व वर्ष में अपनाई गई लेखा पद्धति ।

(ख) क्या अपनाई गई लेखा पद्धति में पूर्व वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती वर्ष में अपनाई गई लेखा पद्धति की तुलना में कोई परिवर्तन किया गया है ।

(ग) यदि ऊपर (ख) का उत्तर हां में है तो ऐसे परिवर्तन के ब्यौरे दें और उसके लाभ या हानि पर पड़े प्रभाव का भी उल्लेख करें ।

| क्रम सं. | विशिष्टियां | लाभ में वृद्धि (रुपए में) | लाभ में कमी (रुपए में) |
|---|---|---|---|
| | | | |

(घ) यदि पूर्ववर्ष में अपनाई गई लेख पद्धति में, धारा 145 के अधीन विहित मानदंडों से यदि कोई विचलन है तो उसके ब्यौरे दें और उसके लाभ या हानि पर पड़े प्रभाव का भी उल्लेख करें ।

14.(क) पूर्व वर्ष में अंतिम स्टाक का मूल्यांकन करने के लिए अपनाई गई पद्धति ।

(ख) धारा 145क के अधीन विहित मूल्यांकन की पद्धति से विचलन की दशा में, उसके ब्यौरे दें और उसके लाभ या हानि पर पड़े प्रभाव का भी कृपा उल्लेख करें :

| क्रम सं. | विशिष्टियां | लाभ में वृद्धि (रुपए में) | लाभ में कमी (रुपए में) |
|---|---|---|---|
| | | | |

15. व्यापार स्टाक में संपरिवर्तित पूंजी आस्ति की निम्नलिखित विशिष्टियां दीजिए :-

(क) पूंजी आस्ति का वर्णन ;

(ख) अर्जन की तारीख ;

(ग) अर्जन की लागत ;

(घ) वह राशि, जिस पर आस्ति व्यापार स्टाक में संपरिवर्तित की गई है ।

16. लाभ और हानि लेखा में जमा नहीं की गई राशियां, जो—

(क) धारा 28 की परिधि के अंतर्गत आने वाली मदें हैं ;

(ख) प्रोफार्मा क्रेडिट, वापसी, सीमाशुल्क प्रदाय या उत्पाद-शुल्क प्रदाय या सेवा कर या विक्रय का प्रदाय या मूल्यवर्धित कर हैं, जहां संबंधित प्राधिकारी द्वारा ऐसे क्रेडिट, वापसी या प्रतिदायों को शोध्य के रूप में स्वीकार किया जाता है ;

(ग) पूर्व वर्ष के दौरान स्वीकार किए गए बढ़ोतरी के दावे हैं ;

(घ) आय की कोई अन्य मद है ;

(ङ) पूंजी रसीद है, यदि कोई हो ।

17. जहांधारा 44गक या धारा 50ग में निर्दिष्ट किसी राज्य सरकार के किसी प्राधिकरण द्वारा स्वीकार किए गए या निर्धारित या निर्धारण योग्य किसी मूल्य से कम के किसी प्रतिकर के लिए पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान कोई भूमि या भवन या दोनों अंतरित किए गए हैं :

| संपत्ति के ब्यौरे | प्राप्त या उद्भूत प्रतिपङ्गल | स्वीकार या निर्धारित या निर्धारण योग्य मूल्य |
|---|---|---|
| | | |

18. यथास्थिति, प्रत्येक आस्ति या आस्तियों के समूह की बाबत आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार अनुज्ञेय अवक्षयण की निम्नलिखित रूप में विशिष्टियां :-

(क) आस्ति/आस्तियों के समूह का वर्णन ।

(ख) अवक्षयण की दर ।

(ग) यथास्थिति, वास्तविक लागत या अवलिखित मूल्य ।

(घ) वर्ष के दौरान आस्तियों में वृद्धि/कमी, तारीखों सहित, किसी आस्ति की वृद्धि की दशा में, उसका ऐसा उपयोग आरंभ करने की तारीख, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित के मद्दे समायोजन भी है--

(i) 1 मार्च, 1994 को या उसके पश्चात् अर्जित आस्तियों की बाबत केंद्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अधीन दावा किए गए और अनुज्ञात किए गए केंद्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय,

(ii) मुद्रा विनिमय की दर में परिवर्तन, और

(iii) परिदान या अनुदान या प्रतिपूर्ति, जिस किसी नाम से भी ज्ञात हो ।

(ङ) अनुज्ञेय अवक्षयण ।

(च) वर्ष के अंत में अवलिखित मूल्य ।

19. धारा के अधीन अनुज्ञेय रकम

| धारा | लाभ और हानि खाते में जमा की गई रकम | आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार और आयकर अधिनियम, 1961 या आयकर नियम, 1962 या इस निमित्त जारी किए गए कोई अन्य मार्गनिर्देश, परिपत्र के सुसंगत उपबंधों के अधीन कोई विनिर्दिष्ट शर्तें, यदि कोई हों, को भी पूरा करने वाली अनुज्ञेय रकम । |
|---|---|---|
| 32कग | | |
| 33कख | | |
| 33कखक | | |
| 35(1)(i) | | |
| 35(1)(ii) | | |
| 35(1)(iiक) | | |
| 35(1)(iii) | | |
| 35(1)(iv) | | |
| 35(2कक) | | |
| 35(2कग) | | |
| 35कखख | | |
| 35कग | | |
| 35कघ | | |
| 35गगक | | |
| 35गगख | | |
| 35गगग | | |
| 35गगघ | | |
| 35घ | | |
| 35घघ | | |
| 35घघक | | |
| 35ङ | | |

20.(क) किसी कर्मचारी को दी गई सेवाओं के लिए बोनस या कमीशन के रूप में संदाय की गई कोई राशि, जहां ऐसी राशि उसे अन्यथा, लाभों या लाभाशों के रूप में देय थी । [धारा 36(1)(ii)]

(ख) धारा 36(1)(फक) में निर्दिष्ट रूप में विभिन्न निधियों के लिए कर्मचारी से प्राप्त अभिदाय के ब्यौरें :

| क्रम सं. | निधि की प्रकृति | कर्मचारियों से प्राप्त राशि | संदाय के लिए देय तारीख | वास्तविक रकम का संदाय | संबंधित प्राधिकारियों को संदाय की वास्तविक तारीख |
|---|---|---|---|---|---|

21.(क) कृपया पूंजी, वैयक्तिक या विज्ञापन, व्यय आदि की प्रकृति के लाभ और हानि खाते के नामे के ब्यौरों को दीजिए :

| प्रकृति | क्रम संख्यांक | विशिष्टियां | रकम रुपए में |
|---|---|---|---|
| पूंजी व्यय | | | |
| | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| वैयक्तिक व्यय | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| किसी स्मारिका, विवरणिका, पुस्तिका, पम्पलेट या किसी राजनीतिक दल द्वारा प्रकाशित ऐसे ही किसी में विज्ञापन व्यय | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| किसी क्लब में प्रवेश फीस या शुल्क के रूप में उद्भूत व्यय | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| किसी क्लब में उपयोग की गई क्लब सेवाओं और सुविधाओं की लागत में उद्भूत व्यय | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उल्लंघन के लिए शास्ति या जुर्माने के रूप में व्यय | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| उपर्युक्त के अंतर्गत न आने वाली कोई अन्य शास्ति या जुर्माने के रूप में व्यय | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| किसी अन्य प्रयोजन के लिए, जो कोई अपराध है जिसे विधि द्वारा प्रतिषिद्ध किया गया है, उद्भूत कोई व्यय | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

(ख) धारा 40क के अधीन अननुज्ञेय रकम :-

(i) उपखंड (i) में निर्दिष्ट अनिवासी को संदाय

(अ) संदाय के ब्यौरे, जिस पर कर कटौती नहीं की गई है :

(I) संदाय की तारीख

(II) संदाय की रकम

(III) संदाय की प्रकृति

(IV) पाने वाले का नाम और पता

(आ) संदाय के ब्यौरे, जिस पर कर कटौती की गई है, किंतु पूर्व वर्ष के दौरान या धारा 200(1) के अधीन विहित समय की समाप्ति से पहले पश्चात्वर्ती वर्ष में संदत्त नहीं किया गया है

(I) संदाय की तारीख

(II) संदाय की रकम

(III) संदाय की प्रकृति

(IV) पाने वाले का नाम और पता

(V) कर कटौती की रकम

(ii) उपखंड (iक) में निर्दिष्ट संदाय

(अ) संदाय के ब्यौरे, जिस पर कर कटौती नहीं की गई है :

(I) संदाय की तारीख

(II) संदाय की रकम

(III) संदाय की प्रकृति

(IV) पाने वाले का नाम और पता

(आ) संदाय के ब्यौरे, जिस पर कर कटौती की गई है, किंतु धारा 139 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट तारीख को या उसके पहले संदत्त नहीं किया गया है

(I) संदाय की तारीख

(II) संदाय की रकम

(III) संदाय की प्रकृति

(IV) संदायकर्ता का नाम और पता

(V) कर कटौती की रकम

(VI) (v) जमा की गई रकमसे अधिक, यदि कोई हों

(iii) उपखंड (iग) के अधीन (जहां कहीं लागू हो)

(iv) उपखंड (iiक) के अधीन

(v) उपखंड (iiख) के अधीन

(vi)उपखंड (iii) के अधीन

(क) संदाय की तारीख

(ख) संदाय की रकम

(ग) पाने वाले का नाम और पता

(vii)उपखंड (iv) के अधीन

(viii)उपखंड (v) के अधीन

(ग) लाभ और हानि खाते में ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन या धारा 40ख/40खक के अधीन अननुज्ञेय पारिश्रमिक की रकम और उनकी संगणना ;

(घ) धारा 40क(3) के अधीन अननुज्ञात/समझी गई आय :

(अ) लेखा बहियों और अन्य सुसंगत दस्तावेजों/साक्ष्यों की परीक्षा के आधार पर क्या नियम 6घघ के साथ पठित धारा 40क(3) के अधीन आने वाले व्यय किसी बैंक को खाता में दिए चैक या खाते दिए बैंक ड्राफ्ट द्वारा किए गए हैं, यदि नहीं, कृपया ब्यौरे दें ;

| क्रम संख्यांक | संदाय की तारीख | संदाय की प्रकृति | रकम | पाने वाले का नाम और स्थायी खाता संख्या, यदि उपलब्ध है |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

(आ) लेखा बहियों और अन्य सुसंगत दस्तावेजों/साक्ष्यों की परीक्षा के आधार पर क्या नियम 6घघ के साथ पठित धारा 40क(3) में निर्दिष्ट संदाय किसी बैंक को खाता में दिए चैक या खाते दिए बैंक ड्राफ्ट द्वारा किए गए हैं, यदि नहीं, धारा 40क(3क) के अधीन लाभ और व्यापार या वृत्ति में अभिलाभ समझी गई रकम के ब्यौरे देंर ;

| क्रम संख्यांक | संदाय की तारीख | संदाय की प्रकृति | रकम | पाने वाले का नाम और स्थायी खाता संख्या, यदि उपलब्ध है |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

(ङ) धारा 40क(7) के अधीन अनुज्ञात नहीं किए गए उपादान के लिए उपबंध ;

(च) धारा 40क(9) के अधीन निर्धारिती द्वारा नियोजक के रूप में संदत्त कोई राशि ;

(छ) किसी आकस्मिक प्रकृति के किसी दायित्व की विशिष्टियां ;

(ज) आय के संबंध में, जो कुल आय के भाग के रूप में नहीं है, उद्भूत व्यय के संबंध में, धारा 14क के निबंधन में अननुज्ञेय कटौती की रकम ;

(i) धारा 36(1)(iii) के परंतुक के अधीन अननुज्ञात रकम ।

22. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के अधीन अनुज्ञेय ब्याज की रकम ।

23. धारा 40क(2)(ख) के अधीन विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को किए गए संदायों की विशिष्टियां ।

24. धारा 32कग या 33कख या 33कखक या 33कग के अधीन समझे गए लाभों और अभिलाभों की रकम ।

25. धारा 41 के अधीन कर से प्रभार्य लाभ की कोई राशि और उसकी संगणना ।

26. धारा 45ख के खंड (क), (ख), (ग), (घ), (ङ) या (च) में निर्दिष्ट किसी ऐसी राशि की बाबत, जिसके लिए दायित्व :-

(अ) पूर्व वर्ष के प्रथम दिन को पूर्व विद्यमान था, परंतु किसी पूर्ववर्ती पूर्व वर्ष के निर्धारण में अनुज्ञात नहीं किया गया था और

(क) पूर्व वर्ष के दौरान संदत्त किया गया था ;

(ख) पूर्व वर्ष के दौरान संदत्त नहीं किया गया था ;

(आ) पूर्व वर्ष में उपगत हुआ था और

(क) धारा 139(1) के अधीन पूर्व वर्ष की आय की विवरणी प्रस्तुत किए जाने के लिए नियत तारीख को या उससे पूर्व संदत्त किया गया था ;

(ख) उपर्युक्त तारीख को या उससे पूर्व संदत्त नहीं किया गया था ।

(बताएं कि क्या बिक्री-कर, सीमा-शुल्क, उत्पाद-शुल्क, या किसी अन्य अप्रत्यक्ष कर, लेवी, उपकर, लाग, आदि को लाभ और हानि लेखा में सम्मिलित किया गया है ।)

27.(क) उन केंद्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्ययों की राशि जिनका पूर्व वर्ष में फायदा उठाया गया था या उपयोग किया गया था और उस राशि को लाभ और हानि लेख में किस रूप में सम्मिलित किया गया था और बकाया केंद्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्ययों की बकाया को लेख में किस रूप में सम्मिलित किया गया था ।

(ख) लाभ और हानि लेखा में जमा की गई या नामे डाली गई पूर्व अवधि की आया या व्यय की विशिष्टियां ।

28. क्या निर्धारिती ने पूर्व वर्ष के दौरान किसी कंपनी के भाग के रूप में, जो किसी कंपनी की नहीं है, कोई संपत्ति, जिसमें पब्लिक का सारतः धारक 56(2)(viiक) में निर्दिष्ट बिना किसी प्रतिफल के या अपर्याप्त प्रतिफल के प्राप्त किया है, यदि हां, कृपया उसके ब्यौरे दें ।

29. क्या निर्धारिती ने पूर्व वर्ष के दौरान, शेयरों के जारी करने के लिए, जिसकी धारा 56(2)(viiख) में निर्दिष्ट रूप में शेयरों की वास्तविक बाजार मूल्य अधिक है, कोई प्रतिफल प्राप्त किया है, यदि हां, कृपया उसके ब्यौरे दें ।

30. हुंडी पर उधार ली गई किसी राशि के या उस पर शोध्य ऐसी किसी राशि (जिसके अंतर्गत उधार ली गई राशि पर ब्याज भी है) के ब्यौरे, जिसे किसी पाने वाले के खाते में देय चैक के माध्यम से अन्यथा प्रतिसंदाय किया गया था । (धारा 69घ)

31.(क) पूर्व वर्ष के दौरान लिए गए या स्वीकृत ऐसे प्रत्येक ऋण या निक्षेप की विशिष्टियां, जिसकी रकम धारा 269घघ में विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक है :-

(i) ऋणदाता या निक्षेपकर्ता का नाम, पता और स्थायी खाता संख्यांक (यदि निर्धारिती के पास उपलब्ध हैं) ;

(ii) लिए गए ऋण या स्वीकार किए गए निक्षेप की राशि ;

(iii) क्या पूर्व वर्ष के दौरान ऋण या निक्षेप चुकता कर दिया गया था ;

(iv) पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय खाते में बकाया अधिकतम राशि ;

(v) क्या ऋण या निक्षेप को किसी पाने वाले के खाते में देय चैक या पाने वाले के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट से अन्यथा रूप में लिया या स्वीकार किया गया था ।

(किसी सरकारी कंपनी, बैंककारी कंपनी या किसी केंद्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा स्थापित किसी निगम की दशा में इन विशिष्टियों को दिए जाने की आवश्यकता नहीं है ।)

(ख) पूर्व वर्ष के दौरान किसी ऋण यानिक्षेप के ऐसे प्रत्येक प्रतिसदांय की विशिष्टियां, जिसकी राशि धारा 269न में विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक है :-

(i) आदाता का नाम, पता और स्थायी खाता संख्यांक (यदि निर्धारिती के पास उपलब्ध है) ;

(ii) प्रतिसंदाय की राशि ;

(iii) पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय खाते में बकाया अधिकतम राशि ;

(iv) क्याप्रतिसंदाय, किसी पाने वाले के खाते में देय चैक या पाने वाले के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट से अन्यथा रूप में किया गया था ।

(ग) क्या लेखा बहियों और अन्य दस्तावेजों की परीक्षा के आधार पर खाते में देय चैक या पाने वाले के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से ऋण या जमाराशि लेने या स्वीकार करने अथवा उसका प्रतिसंदाय करने के बारे में प्रमाणपत्र अभिप्राप्त किया गया है ?

(किसी केंद्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा स्थापित सरकारी कंपनी, बैंककारी कंपनी या किसी निगम से लिए गए किसी ऋण या जमाराशि के प्रतिसंदाय के मामले में उपर्युक्त (ख) पर विशिष्टियां (i) से (iv) और (ग) पर टीका-टिप्पणी किए जाने की आवश्यकता नहीं है ।)

32.(क) निम्नलिखित रीति में अग्रनीत हानि या अवक्षयण मोक के ब्यौरे उपलब्ध सीमा तक :

| क्रम संख्यांक | निर्धारण वर्ष | हानि/मोक की प्रकृति (रुपए में) | वापस की गई राशि (रुपए में) | निर्धारित की गई राशि (सुसंगत आदेश निर्दिष्ट करें) | टिप्पणियां |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

(ख) क्या कंपनी की शेयरधृति में पूर्ववर्ष में कोई परिवर्तन हुआ है जिसके कारण पूर्ववर्ष के पूर्व उपगत हानियों को धारा 79 के निबंधनों के अनुसार अग्रेषित किया जाना अनुज्ञात नहीं किया जा सकता है ।

(ग) पूर्व वर्ष के दौरान निर्धारिती को धारा 73 में निर्दिष्ट किसी सट्टेबाजी से उद्भूत हानि हुई है, यदि हां, कृपया उसके ब्यौरे दें ।

(घ) पूर्व वर्ष के दौरान निर्धारिती को किसी विनिर्दिष्ट कारबार के संबंध में धारा 73क में निर्दिष्ट किसी सट्टेबाजी से उद्भूत हानि हुई है, यदि हां, कृपया उसके ब्यौरे दें ।

(ङ) किसी कंपनी की दशा में कृपया अभिकथित करें कि क्या कंपनी धारा 73 के स्पष्टीकरण में निर्दिष्ट रूप में किसी सट्टेबाजी कारोबार करने वाली कंपनी समझी जाती है, यदि हां, कृपया पूर्व वर्ष के दौरान उपगत सट्टेबाजी की, यदि कोई हों, के ब्यौरे दें ।

33. अध्याय 6क या अध्याय 3 (धारा 10क, धारा 10कक) के अधीन अनुज्ञेय कटौतियों, यदि कोई हों, के धारावार ब्यौरें :

| | |
|---|---|
| वह धारा, जिसके अधीन कटौती का दावा किया गया है | आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंध के अनुसार अनुज्ञेय रकम और आयकर अधिनियम, 1961 या आयकर नियम, 1962 के सुसंगत उपबंधों के अधीन विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करता है या इस निमित्त जारी किए गए कोई अन्य मार्गदर्शी सिद्धांत, परिपत्र आदि |

34.(क) क्या निर्धारिती से अध्याय 17ख या अध्याय 17खख के उपबंधों के अनुसार कर की कटौती करने या उसे सगृहित करने की अपेक्षा की जाती है, यदि हां, तो कृपया निम्नलिखित प्रस्तुत करें :-

| कर कटौती और संग्रहण लेखा संख्या | धारा | संदाय की प्रकृति | स्तंभ (3) में निर्दिष्ट प्रकृति के संदाय या प्राप्ति की कुल रकम | वह कुल रकम जिस पर (4) में से कर की कटौती करने या उसे सगृहित करने की अपेक्षा की गई थी | कुल रकम, जिस पर (5) मे से विनिर्दिष्ट दर पर कर कटौती या संग्रहण किया गया था | (6) में से कर कटौती या सग्रहण की रकम | कुल रकम, जिस पर (7) में से विनिर्दिष्ट दर से कम दर पर कर कटौती या संग्रहण किया गया था | (8) पर कर कटौती या सग्रहण की रकम | (6) और (8) में केंद्रीय सरकार के प्रत्यय को कर कटौती या कर संग्रहण न जमा किए जाने की रकम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |

(ख) क्या निर्धारिती ने विहित अवधि के भीतर कर कटौती या कर संग्रहण की विवरणी दी है, यदि नहीं, तो कृपया ब्यौरे दें :

| कर कटौती और संग्रहण लेखा संख्या (टेन) | प्ररुप का प्रकार | देने के लिए नियत तारीख | देने की तारीख, यदि दी है | क्या कर कटौती या संग्रहण की विवरणी में सभी संव्यवहारों की जानकारी अंतर्विष्ट है, जिसकी रिपोर्ट अपेक्षित है |
|---|---|---|---|---|

(ग) क्या निर्धारिती धारा 201(1क) या धारा 206ग(7) के अधीन ब्याज के संदाय का दायी है, यदि हां, कृपया ब्यौरे दें :

| कर कटौती और संग्रहण लेखा संख्या (टेन) | धारा 201(1क) या धारा 206ग(7) के अधीन ब्याज की रकम संदेय है | संदाय की तारीख के साथ स्तंभ (2) के अतिरिक्त संदत्त रकम |
|---|---|---|

35.(क) किसी व्यापारिक समुत्थान की दशा में व्यापार किए गए मालों की मुख्य मदों के परिणामात्मक ब्यौरे दें :

(i) आरंभिक स्टाक ;

(ii) पूर्व वर्ष के दौरान किए गए क्रय ;

(iii) पूर्व वर्ष के दौरान किए गए विक्रय ;

(iv) अंतिम स्टाक ;

(v) कमी/आधिक्य, यदि कोई हो ।

(ख) किसी विनिर्माता समुत्थान की दशा में कच्ची सामग्री, तैयार उत्पाद और उप-उत्पाद की मुख्य मदों के परिमाणात्मक ब्यौरे दें :

अ. कच्ची सामग्री :

(i) आरंभिक स्टाक ;

(ii) पूर्व वर्ष के दौरान किए गए क्रय ;

(iii) पूर्व वर्ष के दौरान किए गए उपभोग ;

(iv) पूर्व वर्ष के दौरान किए गए विक्रय ;

(v) अंतिम स्टाक ;

(vi) तैयार उत्पादों की प्राप्ति ;

(vii) प्राप्ति का प्रतिशत ;

(viii) कमी/आधिक्य, यदि कोई हो ।

आ. तैयार उत्पाद/उप-उत्पाद :

(i) आरंभिक स्टाक ;

(ii) पूर्व वर्ष के दौरान किए गए क्रय ;

(iii) पूर्व वर्ष के दौरान विनिर्मित मात्रा ;

(iv) पूर्व वर्ष के दौरान किए गए विक्रय ;

(v) अंतिम स्टाक ;

(vi) कमी/आधिक्य, यदि कोई हो ।

उतनी जानकारी दी जाए, जो उपलब्ध हो ।

36. घरेलू कंपनी की दशा में धारा 115ण के अधीन वितरित लाभों पर कर के ब्यौरे निम्नलिखित रूप में दें :-

(क) वितरित लाभों की कुल राशि ;

(ख) धारा 115ण(1क)(i) में निर्दिष्ट घटाई गई रकम ;

(ग) धारा 115ण(1क)(ii) में निर्दिष्ट घटाई गई रकम ;

(घ) उन पर संदत्त कुल कर ;

(ङ) संदाय की तारीखें राशियों सहित ।

37. क्या कोई लागत संपरीक्षा की गई थी, यदि लागत संपरीक्षक द्वारा रिपोर्ट किए गए/पहचान किए गए किसी सामग्री/मद/मूल्य/परिमाण की निरर्हता या असहमति है, यदि हां, तो ब्यौरे दें, ।

38. क्या केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 के अधीन कोई संपरीक्षा की गई थी, यदि लेखा परीक्षक द्वारा रिपोर्ट किए गए/पहचान किए गए किसी सामग्री/मद/मूल्य/परिमाण की निरर्हता या असहमति है, यदि हां, तो ब्यौरे दें, ।

39. क्यावित्त अधिनियम, 1994 की धारा 72क के अधीन कोई लेखा परीक्षा कराधेय सेवाओं के मूल्यांकन के संबंध मेंआयोजित की गई थी, यदि लेखा परीक्षक द्वारा रिपोर्ट किए गए/पहचान किए गए किसी सामग्री/मद/मूल्य/परिमाण की निरर्हता या असहमति है, यदि हां, तो ब्यौरे दें, ।

40. पूर्ववर्ती पूर्व वर्ष के लिए व्यापारावर्त, सकल लाभ से संबंधित ब्यौरे :

| क्रम संख्यांक | विवरण | पूर्व वर्ष | पूर्ववर्ती पूर्व वर्ष |
|---|---|---|---|
| 1. | निर्धारिती का कुल व्यापारावर्त | | |
| 2. | सकल लाभ/व्यापारावर्त | | |
| 3. | शुद्ध लाभ/व्यापारावर्त | | |
| 4. | व्यापार स्टॉक/व्यापारावर्त | | |
| 5. | खपत/खपत की गई सामग्री/अंतिम उत्पादित माल | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | उत्पादित माल | | |

(व्यापारित या विनिर्मित माल या दी गई सेवाओं के मुख्य मद्दों के लिए अपेक्षित ब्यौरे दीजिए)

41. कृपया सुसंगत कार्यवाहियों के साथ आयकर अधिनियम, 1961 और धन-कर अधिनियम, 1957 से भिन्न किसी अन्य कर विधि के अधीन पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान उत्पन्न मांग या जारी प्रतिदाय के ब्यौरे दें ।

.....

*(हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर और स्टॉप/मोहर)

स्थान :..... हस्ताक्षकर्ता का नाम .....

तारीख : ..... पूरा पता .....

टिप्पण :

1. *यह प्ररुप और उपाबंध, यथास्थिति, प्ररुप सं. 3गक या प्ररुप सं. 3गख पर हस्ताक्षर करने के लिए सक्षम व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाता है ।

[अधिसूचना सं. 33/2014 फा.सं. 133/1/2014-टीपीएल]

**(जे. सरवनन)**

**अवर सचिव (टीपीएल)**

**टिप्पण:** मूल नियम भारत के राजपत्र में सं. का.आ. 969(अ) तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन सं का.आ.1418 (अ) तारीख 30/05/2014 द्वारा किया गया ।